महत्वपूर्ण

सं0-3/605एस0ची0उ0अनु0-1/14-2507/2011

प्रेषक,

सुबोध कुमार श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- गन्ना एवं चीनी आयुक्त,
उ0प्र0, लखनऊ।

2- प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ।

3- प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0।

चीनी उघोग अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 21 अगस्त, 2014

विषय:- महिला का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम-2013 कार्यान्वयन के संबंध में।

---

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3 के पत्र संख्या-1मु0म0/60-3-14-13(7)/14 दिनांक 09 जून, 2014 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त पत्र में की गयी अपेक्षानुसार आप अपने स्तर से अपने अधीनस्थ विभागों/कार्यालयों/निगमों/संस्थानों/संघों/निकायों/उपक्रमों/परिषदों में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित महिला का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम-2013 के प्राविधानों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अधिनियम में उल्लिखित आन्तरित परिवाद समिति एवं स्थानीय परिवाद समिति का गठन कर अधिनियम की धारा-7 की उप धारा-4 के अन्तर्गत समिति में नाम निर्दिष्ट किये गये सदस्यों की सूची, फीस व भत्तों के संदाय हेतु अभिकरण के रूप में स्थापित महिला कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु संकलित सूचना उपलब्ध कराते हुए इस अनुभाग को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in